25/11/22 पत्रावली पेश हुई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी श्रीराम पुत्र चौथमल सैनी निवासी–सैनी ढाणी बरालिया मु.हासपुर तह. श्रीमाधोपुर जिला सीकर, कि ओर से श्री श्रवण कुमार शर्मा एडवोकेट उपस्थित हुये। वकील अप्रार्थी ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा दिनांक 17.02.2021 को समय 01:50 पी.एम. पर श्रीमाधोपुर–सीकर में निरीक्षण के लिए मैसर्स– खुशी स्वीट होम, सब्जी मंडी हॉस्पीटल के पास, श्रीमाधोपुर सीकर पर पहुंचा। निरक्षण के दौरान विक्रय किये जा रहे फर्म मैसर्स– खुशी स्वीट होम, में अप्रार्थी श्री राम पुत्र श्री चौथमल मावा का विक्रय कर रहा था। विक्रेता को मैनें अपना परिचय दिया व उनका नाम व पता पूछा तो उसने अपना नाम बताया। श्रीराम से वर्ष 2020 का खाद्य पदार्थ अनुज्ञा पत्र के बारे में पूछा गया तो विक्रेता ने मौके पर खाद्य लाइसेंस वर्ष 2020 होना बताया व दिखाया।

श्रीराम प्र.सै.

फर्म पर श्रीराम द्वारा मावा का विक्रय किया जा रहा था। फर्म पर उपलब्ध 15 कि.ग्रा. मावा के स्टोक में से वास्ते नमूना जांच हेतु नमूना लेने के लिए कहा व फार्म नम्बर 5ए की प्रति तैयार कर नमूना लेने कि सूचना दी तथा प्राप्ति रसीद ली। वास्ते नमूना जांच, मावा 1 किलोग्राम खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को 240रु नगद देकर रसीद प्राप्त कि जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है। तथा उपस्थिति गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं ने हस्ताक्षर किये। उक्त नमूना अमानक पाया गया। अप्रार्थी ने अपना जुर्म कबूल किया एवं प्रकरण में अप्रार्थी के कारोबार को देखते हुये कम से कम जूर्मना किया जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी ने अपना जुर्म लिखित में कबूल किया एवं कम से कम जूर्माना लगाने का अनुरोध किया।

प्रार्थी व वकील अप्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी नम्बर एफ–2182 खाद्य पदार्थ मावा का नमूना लिया गया जो केन्द्रीय जन स्वास्थ्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 11:01:16 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला ...
एवं अति. जिला मजि...
नीमकाथाना

Scanned with OKEN Scanner

तारीख
हुक्म

प्रयोग शाखा जयपुर कि रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकरण अमानक ... का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नि... 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) का उल्लधंन पाया गया। अप्रा... द्वारा जुर्म कबूल कर लियें जाने से भी जुर्म कि गम्भीरता कम नहीं ... जाती है। यह कृत्य लोगो के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है ... साथ ही अप्रार्थी को आर्थिक दण्ड दिया जाना आवश्यक है तांकि भविष्य में ऐसी गलती करने से बाज आये।

अतः खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 की धारा 51 के तहत अप्रार्थीगण को 50,000 रू के जुर्माने से दण्डित किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि जूर्माना राशि हैड 0210–04–800–03–00 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत राज्यकोष में जरीये चालान जमा करावें एवं जमा राशि कि एक प्रति इस न्यायालय में पेश कि जावे। जूर्माना राशि जमा नहीं कराने पर अप्रार्थी के विरूद्ध खाद्य अधिनियम के तहत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। आदेश आज दिनांक 25.11.2022 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

(अनिल कुमार)
अति. जिला कलक्टर,
नीमकाथाना सीकर

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
एवं अति. जिला ...
नीमकाथाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 11:01:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner